

ment of various industries in Assam, particularly, for development of petro-chemical industries and the fertiliser industry. The question of having petro-chemical industries is under examination. A DNT plant and a Polyester Fibre Plant are under the consideration of the Government. With regard to fertiliser, an additional unit is going to be set up in Namrup. As regards utilising the forest resource, I wish to inform the House that the Hindustan Paper Corporation has two paper projects under construction in Cachar and Nowgaon regions.

This practically disposes of the specific points made by hon. Members. I only wish to add that the Central Government will bestow its utmost sympathy and consideration for the development of Assam and its natural resources and it hopes that the situation in Assam will ease and that normal life would flow back into the State, making it possible for the Central Government to go ahead and expedite all these projects.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of a part of the financial year 1980-81, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1979-80 as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

1. THE BUDGET (BIHAR) 1980-81— GENERAL DISCUSSION

2. THE BIHAR APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1980.

3. THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1980.

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN:) Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of a part of the financial year 1980-81, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the

[Shri R. Venkataraman]

Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1979-80, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, as usual, I wish to reserve my reply.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): The general discussion and both the Bills will be discussed together. Yes, Mr. Syed Shahabuddin.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Mr. Vice-chairman, Sir, I find it some what illogical to deal with the Budget estimates of Bihar when this House, which had expressed an opinion against the Government against dissolving the State Assembly, is yet to approve the Presidential Proclamation. However, I just make that point for record.

Sir, I speak with deep pain and anguish about the state of my State. If Assam has been burning for six months, Bihar has been going downhill for the last 33 years since independence under successive Chief Ministers who, to the best of my reckoning number 17 in 33 years and none of them succeeded in stopping this downhill trend. Mutual recrimination will not help us. We had Chief Ministers from virtually every political party. The fact is that the political mainstream of Bihar appears to have been polluted. Politics has become an exercise in organised nepotism, if I may say so. The administration has reached a state where, whichever party be in power, the Ministers spend 10 per cent of their time, I am told, on postings and transfers. I was told once that the Cabinet sat for successive sessions to decide on the posting of a District Magistrate and the Superintendent of Police while it took precisely ten minutes to approve the Five Year Plan for the entire State.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) :

यह जनता पार्टी के राज में हुआ था ।
Mr. Karpoori Thakur was there at that time. Do you remember?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : पहले भी हुआ था । सिवासत की बात न कोजिए ।
Bihar today, Mr. Vice-Chairman, is run by a combination of caste chiefs . . .

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, where is the Minister of Parliamentary Affairs?

SHRI SYED SHAHABUDDIN. . .
big landlords and the bureaucrats.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, there is only one hour today. Where is the Minister of Parliamentary Affairs?

SHRI SYED SHAHABUDDIN:
Our politics is in the grip of money power and... (Interruptions)...if I may say so of muscle power which are reflected sometimes in the lung power within the legislature. The result is that when the source of all authority, which is politics, and which has to play a very significant role in a developing society, comes to this state of affairs, the administration naturally proliferates in a Parkinsonian progression. I am told that for years the entire current revenues of Bihar have been just adequate to meet the pay and allowances of the administration. And despite this great sacrifice on the part of the people of Bihar, the administration, which is divided by casteism, right from top to bottom, is corrupt, inefficient and parasitical, with some honourable exceptions, and it has become nothing more than a series of overlapping jurisdictions for the exploitation of the people and for extortion from them. It is not responsive to the people's aspirations or expectations. Law and order has not only broken down, but, in fact, Bihar's

name has become synonymous with Belchi, Parasbigha, Deoria and Pipra. In tragic succession, they come—this roll-call of shame. And, Sir, we should not forget Jamshedpur, which was a tragedy too deep for tears. Gangs are available for hire. Unlicensed arms are there in the country-side, and there is almost a parallel government in various parts of the State run by anti-social elements. The credibility even of the judicial system has been eroded by the increasing image of corruption.

The development of the State, which is rich in natural resources, in land, minerals, water, forests, is virtually stagnant and at a standstill. The per capita income of Bihar, Mr. Vice-Chairman, is almost at the lowest rung of the ladder. In the national scale, in every index whether it is consumption of food per head, consumption of sugar, number of beds in hospitals per thousand population, number of children enrolled in schools, Bihar is amongst the lowest.

But the wave of elitism has not forgotten Bihar. We have as marks of progress, five-star hotels. But we do not have sufficient urban water supply. We have posh colonies, but sometimes no power. We have signs of urban decay everywhere. And of course, the villages are where they were 33 years ago. We have TV programmes for naked children. And all the time we have essential goods of mass consumption in short supply, while the supply inspectors fatten themselves on the people. The distribution system has been virtually non-existent for some time. Famine and scarcity visit us every year, Mr. Vice-Chairman, today, I am told, the people in Chhota Nagpur and some other parts, are living on leaves and grass and our people suffer in anger and frustration.

People cannot find jobs because education is in a mess. Schools exist on paper. Colleges are just teaching

shops. Universities do not hold examinations. The standard of education has gone down so badly that the unemployed from Bihar can hardly hope to secure jobs outside the State.

Agriculture has one of the lowest productivity in the country. Land reforms is an exercise in illusion. Ceiling laws have never been applied sincerely. If surplus was declared, it was not distributed, if land was distributed, on paper, physical possession was given, in many cases the grantees were evicted by brute force. And the administration at all times has been a party to such an exercise. Landless labour has remained where it was. Rural development has only fattened some contractors.

Coming to the industrialisation of Bihar, after 33 years since independence, Bihar still remains—our industries are basically extractive—a producer of raw materials only.

My question is, does the Budget presented by the hon. Finance Minister gives us hope for the future, provide us with a fresh perspective for development? My answer is No. Of course, he would plead that he did not have sufficient time. I admit it is not his all-time responsibility as it suddenly came into his hands. But we did expect something more from a man of Shri Venkataraman's stature and experience. Mr. Vice-Chairman, I would suggest that on the revenue side the administrative cost must be brought down. Even the General Services alone consume 239 crores of rupees and there are hidden administrative costs under Economic Services, under Social Services and under each head of expenditure. This flabby administration must be nursed back to health. Prohibition which costs the exchequer 11 crores of rupees, in loss of excise alone plus I do not know how many crores more in trying to enforce the unenforceable should be scrapped. Income from agricultural income-tax has been shown as one lakh of rupees. Are we trying to make the world laugh at us?

[Shri Syed Shahabuddin]

If agricultural income-tax is to be levied, let it be levied seriously. Let all income be taxed. Surely, there are many big landlords in Bihar to provide to the Exchequer more than one lakh of rupees. I know that land revenue for small holdings has been abolished. But for the holdings for which it exists let the revenue be reviewed in line with the growth of inflation. To pay 2 annas per *katha* or something which was fixed years and years ago has absolutely no meaning today. There is sufficient taxation capacity in the countryside in the big landlords which should be brought into the development pool. May I plead on behalf of the people of Bihar that the industrial houses must be asked, those houses which have their main operations in the State itself, to locate their offices in the State, where they take decisions so that the State of Bihar can have a certain degree of control over them, over their policies and over their profits?

On the expenditure side, Mr. Vice-Chairman, I find that out of the total budget of 1200 crores of rupees which, of course, includes the Plan allocation of Rs. 425 crores, 'Education' gets 188 crores. But let it make every effort to make education productive and meaningful for the people. The inverted pyramid should be brought back to its solid base in order to improve the primary and secondary education to prepare our children to compete on equal terms with the rest of the youth of the country.

Flood and irrigation takes 130 crores of rupees. It is welcome. We have to stop floods and water resources have to be tapped. Power has been allotted 115 crores of rupees. I do not know whether this money will disappear in this bottomless pit and whether at the end of this expenditure, we shall have the same utilisation rate of our installed power capacity which, to the best of my recollection, is of the order of 25 per cent.

I am sorry to say that only 17 crores of rupees have been allotted for roads and bridges. During the last election campaign, I had occasion to spend a whole night travelling 10 kilometers because the roads which had existed had disappeared in the rains. I feel that one of the basic demands of the people of Bihar is for having better communications in the State. Particularly, the question of early completion of the Ganga Bridge Project must be looked into and a definite commitment should be made by the Government that the Project will be completed within a short period of time.

Mr. Vice-Chairman, what is amazing is that the allocation for industry is only 10 crores of rupees out of Rs. 1200 crores, including both current and capital expenditure. Surely, there is need for greater and speedier industrialisation of Bihar. Not surprisingly, science and technology gets only one crore of rupees.

On the social side, may I plead with the Finance Minister, through you Mr. Vice-Chairman, that Antyodaya Programme, the Food-for-Work Programme and the Pension for the Aged Programme should not be starved? Let these programmes be above party line and party considerations. At least, this money is going right down to the people who need assistance. Let that be maintained, if possible. Let that be stepped up.

May I also suggest that the land reforms should be implemented seriously through local committees and the regular supply of inputs to the agricultural sector should be insured. I know how the co-operatives function. They have become cesspool of corruption. But I believe in the people. And I suggest that some effort should be made to bring the distribution into the hands of the panchayat. Above all, the administration should be decentralised and made accountable at all levels. I do not know whether it is possible for Bihar to do away with the political

pairvi system. Of course, the rest of the country is following closely in Bihar's footsteps. But I think, it is for us sitting here, people belonging to different political parties, to see to it that this pairvi system disappears because this is the system which has really eroded the system from within, which has created these linkages—horizontal and vertical—and which does not take into consideration the real welfare of the people of Bihar.

(Time bell rings).

I have suggested earlier, Mr. Vice-Chairman, that small industries must be encouraged and the education system should be made productive. There are the grievances of the weaker section, like the minorities, the Harijans, the landless labour, the tribals, the unorganised urban labour, the book-binders, the bidi workers and so on whose problems need to be looked into with sympathy.

Bihar, Mr. Vice-Chairman, Sir, has become over a period of time, over the last 30 years almost like a private limited company whose shareholders are the politicians and the bureaucrats. I think the real shareholders are the people of Bihar, all of them. And, Sir, they should get their due.

We hear of violence in Bihar. It is a symptom of the cancer which is gnawing at us from within. These are dangerous signals. Let us take heed of them. Let us wake up, before Bihar explodes and gets aflame. Thank you, Sir.

— श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय मांग का मैं समर्थन करती हूँ और इस समर्थन के साथ ही सरकार का ध्यान कुछ मुद्दों पर दिलाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले, मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले उनको एक बात के लिये जरूर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिछले तीन

वर्षों में बिहार में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका उन्होंने बहुत सुन्दर चित्रण किया है। यह सारी स्थिति पैदा क्यों हुई, कैसे हुई, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिये मैं विस्तार में जाना नहीं चाहती वरना एक-एक बात का जवाब उदाहरण के साथ में दे सकती हूँ। उन्होंने कहा कि क्रेडिटलिटी आफ जुडिशियरी खत्म हो गई है, अनलाइसेंस्ड वेपन्स दिये जाते हैं, दगैरह-वगैरह। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो परिस्थिति बिहार में पैदा हुई है, वह पिछले तीन वर्षों की देन है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं उन बातों को दोहरा कर समय नहीं लेना चाहती लेकिन इस मौके के दौरान मैं सरकार से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहती हूँ कि बड़ी-बड़ी नीतियाँ इस छोटे से दौरान में निर्धारित नहीं हो सकती लेकिन मुँक केन्द्र से इस समय आपके वरिष्ठ सलाहकार लोग जाने हैं, वहाँ कौन कौनसी समस्याएँ हैं इसकी गहराई में उन्हें जाने का मौका जरूर मिलता और उसके अनुसार हमारे यहाँ की जो प्रायोरिटीज हैं उन्हें निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशेष समस्याएँ होती हैं। हर एक प्रदेश की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। उनकी अपनी-अपनी जरूरियातें होती हैं। उन जरूरियातों का मापदंड करने का यह विशेष अवसर आपको मिलता है। क्योंकि इस समय केन्द्र का डायरेक्ट कान्टेक्ट उनसे होता है, इसलिये आपको आसानी से सारी बातें पता चल सकती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कौन-कौन से कदम

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

उठाने आवश्यक हैं इसका आप अध्ययन कीजिए और इसका अध्ययन करने के बाद प्रियोरिटीज फिक्स करके अनुदानों का समुचित उपयोग करें। ऐसा होता है कि यहां बैठ कर रूप रेखा तैयार हो जाती हैं और अनुदान भेज दिया जाता है। पर जो वहां की आवश्यकताएं होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता जिस कारण प्रायः अनुदान वापस आ जाता है और प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार में नदी जल, रिवर वाटर तथा जमीन के नीचे का पानी, दोनों ही उपलब्ध हैं। बड़ी-बड़ी नदियां गंगा, सोन, पुनपुन, बागमती, कोसी हैं। छोटी नदियां तो अनगिनत हैं। किन्तु इनके जल का समुचित प्रयोग की व्यवस्था आज तक न हो सकी। यदि हम केन्द्र में बैठ कर गंगा से कावेरी को जोड़ने की योजना बना सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं तो इस केन्द्र में बैठ कर हम बिहार का नक्शा लेकर बाढ़ और सुखा के क्षेत्रों को डिमार्केट क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिमार्केशन कर लें और जल के उपयोग की बिहार के नक्शे के साथ पानी कैसे और कहां-कहां पहुंचाया जाय, इसकी समुचित व्यवस्था करें तो दोनों समस्याओं के निपटारे का मार्ग सुगम हो सकता है।

जहां आपने बांध बांधे हैं किन्तु उनके साथ नहरों की योजना, स्लूइस गेट की योजना पूरी नहीं की है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो धनराशि आपने खर्च की है उस धनराशि का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाता है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जहां कहीं भी आपने योजनाएं बनाई हैं उनके साथ आप यह भी देखें कि इन योजनाओं में कौन-कौन से

काम बाकी रह गये हैं, जिनको पूरा करने से योजना का काम पूरा हो सकता है। क्योंकि जहां जल नियंत्रित होकर खेतों में फसल पैदा करता है, वहां एक और तो गांव के गांव बहा देते हैं और दूसरी ओर दक्षिण बिहार के जिलों में पानी के अभाव में खेत सुखे रह जाते हैं। अतः सरकार से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि बाढ़ और सुखा की बिहार की समस्या सिर्फ रिलीफ मेजर्स तक ही सीमित न करें, बल्कि प्रदेश भर में क्वान्टम आफ वाटर एवेलेबल को देख सारे प्रदेश में पानी पहुंचाने की योजना बनाई जाये और केन्द्रीय सरकार विशेष फण्ड एलोकेट करे ताकि बिहार की उर्वरा भूमि पानी मिलने पर ग्रेनरी आफ इंडिया बन सके। फसल अच्छी होगी तो ग्रामों के जीवन का स्तर ऊंचा होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये। मैं समझती हूं कि अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाय तो आज जो बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है वही बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का सम्पन्न प्रदेश बन सकता है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि बिहार में पानी का सतह, अन्डर ग्राउंड वाटर विशेष कर उत्तर बिहार में बहुत गहरा नहीं है। किन्तु पिछले तीन या पांच साल के आंकड़े देखे जायें तो बंगाल या महाराष्ट्र आदि दूसरे प्रदेशों में जितनी संख्या में ट्यूबवैल लगे हैं उनकी तुलना में बिहार में बहुत कम लगे हैं और जो हैं वे या तो टूटे हैं या बिजली की कमी से चालू नहीं हैं। रिग की कमी के नए ट्यूबवैल नहीं गाड़े गये हैं। यदि रिग उपलब्ध हों

तो ऐसे गांव भी मिलेंगे जहां लोग पानी की सुविधा के लिए कोआपरेटिव बेसिस पर भी ट्यूबवैल लगा कर खेत में पानी पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हमारे जो ग्रेजेंट इंजीनियर हैं और जो बेकार हैं, अगर वे ग्राम लेवल पर कोआपरेटिव बना करके काम करना चाहें तो उनको रिग दे दिया जाय और ट्यूबवैल गाढ़ने का काम उन्हें सौंप दिया जाय। मैं समझती हूं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे गांवों में ट्यूबवैल भी लग जाएंगे और लोगों को पानी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी और कुछ इंजीनियर लोगों को काम मिलेगा।

बिजली की कमी का सभी सम्माननीय सदस्य रोना रोते हैं और मैं भी उनकी कतार में हूं। इंस्टाल्ड कैपेसिटी बिहार में 735 मेगावाट है। लेकिन उत्पादन करीब 300 मेगावाट है और दसवीं लोड सरवे कमेटी की रिपोर्ट जो बिहार के संबंध में है उसके अनुसार बिहार की जरूरत कम से कम 400 मेगावाट की है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इसकी छानबीन करने की आवश्यकता है कि बिहार में जल उपलब्ध है, कोयला उपलब्ध है, फिर भी बिजली का उत्पादन कम क्यों है? और कौन से लूपहोल्स हैं जिनको प्लग करने से बिजली की सुविधा बिहार की जनता को प्राप्त होगी। यदि बिजली विभाग में गड़बड़ी है तो उसमें परिवर्तन लायें और यदि पावर हाउसेज सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं तो उनमें सुधार लावें। जनता बेचैन है। उसे बिजली चाहिए। गांवों में खम्बे हैं, तार हैं, ट्यूबवैल से उनको कनेक्शन भी मिला हुआ है, लेकिन बिजली आती नहीं है। किसान

बेमौत मर रहे हैं। खाद देने पर पानी न देने से साधारण रूप से भी फसल नहीं हो पाती है। अतः बिजली उपलब्ध कराने की अविलम्ब चेष्टा की जाय। इस के साथ बिजली घरों की अधूरी योजनाओं को जिन पर पिछली सरकारें हामी भर गई थीं, उसे पूरा करने का काम आरम्भ होना चाहिए। इसमें मुजफ्फरपुर का थर्मल पावर स्टेशन और टेनूघाट का थर्मल पावर स्टेशन भी है। इनमें काम आगे बढ़ चुका है। मुजफ्फरपुर में जमीन उपलब्ध हो चुकी है और काम शुरू हो गया है। आप थोड़ी-सी मदद करें तो इसमें बहुत सुविधा हो सकती है। क्योंकि किसी प्रदेश का आर्थिक जीवन बिजली पर निर्भर होता है। चाहे वह कृषि हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, अथवा लोहे और कपड़े के बड़े-बड़े कल कारखाने हों। क्योंकि यही समय है जब केन्द्र की सरकार बिहार की समस्याओं को गहराई से देख कर दिशा निर्देश कर सकती है और सोच सकती है कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। यह मैं आपसे बड़ी कोशिश के साथ निवेदन कर रही हूं।

तीसरी बात है कि उत्तर और दक्षिण बिहार में व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से गंगा पुल का तैयार हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इसे 1980 में तैयार होना था। यातायात मंत्री महोदय खुद उत्तर और दक्षिण बिहार में जाके सभी उनको यहां के लोगों की परेशानी का ज्ञान होगा, बरना नहीं हो सकता है। किन्तु धनराशि की कमी से काम ठीला ढाला चल रहा है। जो धनराशि विभिन्न योजनाओं के लिये दी जाती है जो कार्यान्वित नहीं हो पाती है या जिन में काम नहीं हो

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

पाता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उसमें यदा-कदा वापस आने वाली धनराशि को रीएडजस्ट कर के गंगापुर को पूरा करें, नई धनराशि दें तब तो बड़ी ही अच्छी बात है। किन्तु यदि ऐसा नहीं हो सके तो यातायात के इस प्रियारिटी का मूल्यांकन कर इस पुराने को पूरा करने की व्यवस्था करें।

डीजल, किरासीन, चीनी तथा कपड़े घोड़े का सोडा, इनके आवंटन की कोई फुल-प्रूफ व्यवस्था की जाय ताकि गांवों तक ये वस्तुयें नियंत्रित मूल्यों पर आसानी से प्राप्त हो सकें। यदि सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी और अगर ब्लाक लेवल तक का सरकारी विभाग योगदान दे तो जन सहयोग के साथ यह कार्य पूरा हो सकता है। किरासीन की 30 हजार टन की प्रत्येक मास में आवश्यकता है। उसी तरह डीजल की 70 हजार टन की आवश्यकता है जब कि एलाटमेंट 36 हजार टन का है और वितरण की खराबी से यह भी गायब रहता है और जिस वक्त वह बंटता है तो उस वक्त का दृश्य देखने लायक होता है।

सरकारी विभागों को आज जनता के अन्दर की बेचैनी को देखते हुए रिजल्ट ओरियन्टेड होना पड़ेगा। अतः गृह विभाग और वित्त विभाग को बैठकर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में तेजी लाने के तरीके ढूँढ़ने होंगे और रेड टेपिज्म को कम करना होगा। बहुत-सी कमेटियों की रिपोर्ट इस विषय में सरकार के पास है और काम की कठिनाइयों के पिछले अनुभव भी हैं। हमारे मंत्री लोगों को और उनके आफिसरों को ज्ञात है और इन दोनों चीजों, उन रिपोर्टों और उन कठिनाइयों के

अनुभव दोनों को इकट्ठा करके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सुधार लाना आवश्यक है। आफिसरों को भी रिजल्ट के अनुसार इन्स्टिट्यूट दिया जाय तो फायदा होगा। उनको बढ़ोतरी दें और उन्हें और तरह की सुविधा दें ताकि उनके अन्दर उत्साह बढ़े और काम तेजी आय।

आखिर में उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि यह सब कोई भी काम बिहार में सम्भव नहीं है जब तक की कानून और व्यवस्था ठीक नहीं होती है। जनता पार्टी और लोकदल की मिली जुली सरकार की सबसे बड़ी देन है बिहार में जातीयता का उभाड़, और पारसबीषा, दोहिया तथा पिपरा जैसे कांड इन लोगों की देन हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक कारणों में जातीयता का विषय मिल कर परिस्थिति ने विषाक्त रूप ले लिया है और आज गांव गांव में जो परिस्थिति है उसका वर्णन करना आज कठिन है। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा सफररजो रही हैं वह महिलायें रही हैं। यह एक नया ट्रेन्ड समाज में आया है। पहले भी बैर-विरोध होता था लेकिन महिलायें अछूती रहती थी, गांव गांव में झगड़े होते थे लेकिन महिलाओं पर आक्रमण नहीं किया जाता था, उनकी इज्जत नहीं लूटते थे। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब कोई भी बात होती है तो सबसे पहले इज्जत लूटी जाती है महिलाओं की। तो इस बारे में मेरे तीन सुझाव हैं।

एक तो यह कि कानून विभाग देख कर समझ कर अपने क्रिमिनल प्रोसीजर में जो लूपहोल्स हैं उनको दूर करे ताकि महिलाओं पर अनाचार करने वालों को सजा मिल सके और यदि किसी भी घटना में महिलाओं पर अत्याचार होता

है तो उसकी सजा हो सके और इस प्रकार की घटनायें रुक जायें ।

हरिजनों की बस्ती और टोले में उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ।

राजनैतिक फायदे के लिये धर्म के उभाड़ से दंगे कराने पर उसकी पूरी छान-बीन होकर सजा होनी चाहिए । वर्ना सारा समय सरकार का दंगा रोकना और फिर रिलीफ मेजर्स देना यही रह जाता है और विकास के काम रुक जाते हैं । जमशेदपुर में नफरत की आग तो जल गई मिनटों में किन्तु ठंडा होने में कितना समय लग गया । इन झगड़ों में फंस कर बिहार खनिज पदार्थों से भरपूर रह कर भी आर्थिक दृष्टिकोण से सभी प्रदेशों से पिछड़ा है । वहां जल की कोई कमी नहीं है, खनिज की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं है । क्योंकि उसने राजेन्द्र बाबू जैसे लोग पैदा किए, अशोक और चन्द्रगुप्त जैसे लोगों को पैदा किया, लेकिन आज वह हिन्दुस्तान के नक्शे पर सब से गरीब और पिछड़ा हुआ है ।

दूसरी बात ला एंड आर्डर ठीक करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । उनकी विशेषकर नीचे के अफसरों दरोगा और एस० आई० ग्रेड के अफसरों की सुविधाओं को मनन कर स्टडी कर परिवर्तन की आवश्यकता है वर्ना जनता के मन में एक ही तस्वीर है पुलिस माने लाठी—यह तस्वीर बदल कर जनता के मानस-पटल पर होना चाहिए पुलिस माने रक्षक, यह तस्वीर होनी चाहिए । यह तस्वीर जब तक नहीं निकलेगी जब तक हम नीचे के लेवल पर कुछ विशेष सुविधाएं नहीं देंगे उन्हें रिहायश और

कई प्रकार की सुविधाएं नहीं देंगे, जब तक उनमें उत्साह नहीं होगा वे कैसे काम करेंगे ?

तीसरी बात है कि कानून और व्यवस्था ठीक करने के लिए आई० बी० ब्रांच को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए । यदि इनका विभाग ठीक से समय से सरकार को पारसबीधा, दोहिया या पिपरा जैसे कांड की पूर्व सूचना दे देता और अगर सरकार तुरन्त एक्शन ले लेती तो ऐसी अनेक घटनाएं होने से बच जाती और हमारे बहुत से गांवों में जो आग जल उठी है, जनता के मन में जो तनाव हो गया है यह न होता, यह बच जाते । इन सारे सुझावों के साथ मैं इस बजट का अनुमोदन करती हूं और निवेदन करना चाहती हूं की जल और खनिज से भरपूर बिहार किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए बिहार को डवलप्ड स्टेट्स के समान लाने के लिए केन्द्र प्रयत्नशील हो । यदि कुछ अधिक धन की आवश्यकता हो तो इसे देकर हम बिहार को बराबरी में लाएं वर्ना जो सामाजिक परिस्थिति आज हिन्दुस्तान में हो रही है, वहां पर कौन-सी आग भड़केगी, यह कहना कठिन है । धन्यवाद ।

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON (Kerala): Sir, I am glad . . .

AN HON. MEMBER: You are in Bihar?

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: I am part of India.

Sir, I am glad to see the hon. Finance Minister here in this House. But I am not very hopeful of the Budget presented on behalf of the Bihar Assembly, that it would serve the economic revitalisation of Bihar. I am also sad that the people of Bihar have no forum but only this Parlia-

[Shrimati Leela Damodara Menon]

ment to express their hopes and aspirations. Sir, the hon. Finance Minister, I remember, has said that Bihar is backward. But as has been said by many hon. Members, Bihar is not backward in many things. It is rich in minerals. I think, it is one of the richest States in respect of natural resources like iron ore, tin, copper, coal and so on. I do not know the whole list. I think, in this respect, I must confess that Members from Bihar will know more than I do about the listing of natural resources of Bihar. But it is certainly backward and the people of Bihar are socially, economically and even politically, I would say, backward. I would say politically backward because, today, the world looks in dismay and astonishment at what is happening in Bihar, at what has happened in Bihar. We are ashamed of Pipra. We are ashamed of the various atrocities and the killings which have happened in Bihar. Hence, I said, politically also, in some sense, Bihar is backward. But the hon. Minister says that with regard to Central allocations, Bihar has had more than its share. It is stated that Bihar has got Rs. 2877 crores of Central assistance in the various public sector projects, which is I think a very high figure compared to Kerala or many other States, but, Sir, what has been done with this investment? What is the result of this investment? It is just like a white elephant. It has gone down the drain. The people of Bihar have not benefited from this assistance. Sir, Bihar has been a victim of floods and drought. I do not know whether the figures are correct, but I think there are 1,96,000 tonnes of foodgrains and also an additional 1,25,000 tonnes of foodgrains allotted for just the 'food for work' programme in Bihar and added to these, there are natural requirements of foodgrains. But, Sir, as has been stated by my colleague Mrs. Singh, to take them to the villages, to take the material to Bihar itself requires 90 rakes per month, but what do they have? I think they

are getting only one and a half or one and three-month rakes. Therefore, what is the use of allotting assistance to Bihar when it cannot be taken or transported to Bihar? You do not have the transport system, you do not have the distribution system which could take this assistance to the people of Bihar. Therefore, we will not be satisfied with allocations and assistance only on paper. It should be actually received by the people for whom the allocation or the assistance is meant.

Sir, in this Budget that has been presented in this House there is a slight increase in the Plan allocation. But I remember the former Mr. Chief Minister, Mr. Mishra who said—I do not know, I might be quoting wrong, but I read it somewhere—that there are only two classes in Bihar, the landless and the landlords. I do not think that this is all. I think apart from all other ills in Bihar, it is the most caste-ridden State in this whole nation. Certainly, a small section of people own most of the land and necessarily a large number of landless people who depend mainly on land, because its industrial growth has been blatant, have remained poor. Sir, somewhere it has been said that there should be 60 million acres of surplus land in Bihar, but the year ending 1977 assessment shows that there is only 4 million acres of surplus land. What has happened, from 60 million hectares of surplus land, it has come to only 4 million acres?

I think it must have disappeared somewhere, within the land itself and it is this way that the land legislation and the ceiling Acts have been circumvented so that they have no effect at all and always there is confrontation on Indian transfers. A few people have become very powerful. The landed community in Bihar today is one of the powerful groups and to protect themselves against the Naxalite movement, they have been given arms. It would be good to know how these arms are being utilised. They are turned on the poor,

on the backward sections of the people, on the Harijans and that is why you see all these things in Pipra and Belchi. The poor unfortunate people are crying for a bit of land, they are crying for a grain of food, but they are burnt, they are killed, they are massacred in the way worst than the massacre of Jalianwala Bagh which we all should be ashamed.

Sir, political deviation between the higher and the lower classes have added to this trouble. This confrontation is going on. Today all development of Bihar is constrained and restricted by confrontation of these people, fighting between each other on the land and various other fronts. In these confrontation certain groups are becoming militant. The Bhumi Heen Samiti is becoming militant while the Naxalite movement is getting stronger. Because of injustice, because of atrocities committed on the people which they cannot and do not want to suffer, they become militants. And what has happened? It is true, as the hon. Member here has said, police means 'lathi' today. I wish police meant 'lathi', if the police used 'lathi' for proper purposes. But today that lathi is used very partially. The police is not impartial in this respect. The police is standing with the vested interests, helping the vested interests and hit those poor people for whom they should really use that 'lathi'. Therefore, the Harijans and weaker sections are in trouble.

Therefore, Sir, Bihar is today emotionally torn. What to say about the services? What to say about the administrative set up? They should really take the law into their own hands and see that at least through the permanent structure of the Government, the people should get justice. Even that is broken to bits just now. There is no use for platitudes and generalities. I would like the hon. Minister to remember that we should really exploit the resources. We should not allow the poor sections of the people of Bihar to be exploited. It is true that technology

and technical service are being least used in Bihar. The education, as my hon. friend has stated, is in dol-drums. The colleges do not function. Examinations are not held. Gheraos and other disturbances on the education front are but often a permanent factor in this set-up. To transfer the energies of the people into productivity, into employment programmes and projects, very definite programme has to be framed. In that if we fail, not only this Budget but the future of Bihar itself will be in jeopardy. Thank you, Sir.

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उपसभा-ध्यक्ष महोदय, जब हम बिहार के बजट पर विचार कर रहे हैं तो कुछ मिनटों में बिहार की गंभीर समस्याओं के बारे में विचार करना और उन समस्याओं के निदान के बारे में हल ढूँढना कठिन काम है। जब हम बिहार के बजट पर विचार कर रहे हैं तो अभी वह अकाल के दौर से गुजर रहा है जिस में करीब 6 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ की आबादी अकाल और सूखे से प्रभावित है, वहाँ भूखमरी की समस्या है और लाखों लोग गांव छोड़ कर दूसरे राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, किसी तरह जिंदा रहने के लिए, काम पाकर अपने को बचाने के लिए और वहाँ पर भूखमरी की रिपोर्ट आ रही है। भूखमरी से बचाने के लिए जो भी योजनाएँ (स्कीम्स) अमल में आ रही हैं उसके बाद भी भूखा मरने की रिपोर्ट आ रही हैं। और यह अकाल की जो समस्या बिहार की है यह आज की समस्या नहीं है। आजादी के पहले अंग्रेजों के वक्त में भी वह प्रदेश बराबर अकाल का शिकार होता रहा और आजादी के बाद भी, 33 साल बीत रहे हैं, लेकिन बिहार को अकाल से बचाने के लिए कोई भी कारगर उपाय अब तक नहीं किए गए इसलिए कि सिंचाई की योजना, बाढ़-नियंत्रण की योजनाएँ जो भी बनायी गयीं, बिजली के उत्पादन के लिए जो कुछ भी किया गया वह बहुत ही अपर्याप्त था। जो भी योजनाएँ बनाईं वे अमल में नहीं आयीं। पिछले वर्षों में सिंचाई

[श्री भोला प्रसाद]

की योजनाओं के लिए जो भी रूपया निर्धारित किया गया वह खर्च नहीं हुआ और उसको लौटा दिया गया। यह पिछले वर्ष की बात नहीं है, इस वर्ष की बात नहीं है, यह होता रहा है। अगर इन सवालों को हल करने के लिए कारगर कदम तत्काल नहीं उठाये जाते तो अभी तो अकाल से बिहार मर रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा है, एक तरफ यह हालत है, दूसरी तरफ सिंचाई और बिजली की व्यवस्था न होने से, डीजल के संकट की वजह से आने वाले महीनों में और भी हालत खराब हो जायेगी क्योंकि पिछले वर्ष धान की फसल खत्म हो गयी और रबी की फसल भी खराब हो गयी। अभी जिस तरह से बिजली का संकट है, जिस तरह से सिंचाई की योजनाओं के अमल में लापरवाही की जा रही है, जिस तरह से डीजल का संकट है अगर उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश नहीं की गयी तो आने वाले साल में इस का बुरा असर पड़ेगा इलाक़ और भी खराब होगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि एक तो बिहार में बिजली का उत्पादन कम है, जहाँ 750 या 735 मेगावाट बिजली की जरूरत है, वहाँ पर मुश्किल से 275 मेगावाट बिजली पैदा होती है। फ़ारी जरूरत जो 400 मेगावाट की है वह भी पूरी नहीं होती क्योंकि जो उत्पादन की क्षमता है उससे काम नहीं हो पाता। तो इस काम को कैसे पूरा किया जाय? इसके लिए जहाँ तक बिजली बोर्ड की प्रबन्ध व्यवस्था है उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, जो पिछले दिनों में लगातार होती रही हैं उसको सख्ती से सुधारने का जरूरत है जिससे जो केपेसिटी है हम उसका उपयोग कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएँ हैं बिजली की जैसे मुजफ़्फ़रपुर बिजली प्रोजेक्ट उसको अमल में लाने के लिए काम जल्दो शुरू करना चाहिए। काल गाँव बिजली प्रोजेक्ट के लिए बिहार विधान सभा ने एक मत से प्रस्ताव पास कर के भेजा, लेकिन केन्द्र ने उसकी अनुमति कर दी। उस प्रोजेक्ट

को योजना में नहीं लिया गया, दूसरी जगह दे दिया। तो यह जो केन्द्र की ओर से लापरवाही बिहार की तरफ है, उपेक्षा का रवैया है वह दूर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बिहार की हालत बड़ी गम्भीर होगी। जो बाढ़ नियंत्रण की योजनाएँ हैं उनमें कुछ दिक्कत है। जैसे गंगा नदी है, यह बिहार की नदी नहीं है, यह अन्तर्राष्ट्रीय नदी है। गंगा के चलते बाढ़ की समस्या है और बाढ़ नियंत्रण का सवाल है। यह बिहार की सरकार के बस के बाहर की बात है कि वह अपने तई, बिना केन्द्र के पूरी जवाबदेही लिए, इसे अमल में ला सके।

इस लिये जरूरी है कि कुछ ऐसे जो 6 P.M. बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं जैसे कि गंगा की बाढ़ नियंत्रण योजना या आप की जो गंडक की जो सिंचाई की योजना है उस में जितनी भी योजनाएँ

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

बनीं उनमें कई गुना ज्यादा खर्च हो चुका है। करोड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, अरबों तक उन का खर्च पहुँच चुका है लेकिन वह योजनाएँ पूरी नहीं हो पायीं और उस के चलते जो छोटी और मध्यम योजनाएँ हैं जो ली गयी हैं चाहे वे चौथी योजना में हों या पाँचवीं योजना में हों उन पर कोई अमल नहीं हुआ। तो इस लिये जरूरत है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को केन्द्र अपने हाथ में ले। उन का खर्च बिहार सरकार पूरा नहीं कर सकती है जब तक कि केन्द्र सरकार उसमें मदद न करे और उन को पूरा करने में बिहार सरकार का हाथ न बँटाये। उस की जवाबदेही केन्द्र की होनी चाहिए तभी मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं पर वहाँ तत्काल जोर देकर उन पर अमल करने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के लिये मैं मुँगेर जिले से आता हूँ, वहीं पर कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जो कि चौथी योजना से और पाँचवीं योजना से आज तक लटकी आ रही हैं चाहे वह अपर कुइन जलाशय की योजना हो या सकरी जलाशय की योजना हो या डकरा नाला की योजना हो, वह सब कागज पर ही पड़ी हुई हैं और उन पर कोई

अमल नहीं होता। इसी प्रकार से बिहार में सैकड़ों योजनाओं हैं जिन पर अमल नहीं हो रहा है। तो बड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपने ऊपर ले और छोटी योजनाओं के लिये राज्य को उन को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और जो मौजूदा ढिलाई और लापरवाही है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

इसी प्रकार बिहार में जो बेकारी की समस्या है वह इतनी संगीन हो गयी है कि अगर उस को हल करने के लिये उपाय नहीं किये गये तो उस के चलते बिहार में विधि और व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वैसे वहां की व्यवस्था इतनी खराब होती चली जा रही है इतनी संगीन होती चली जा रही है कि उस का कुछ कहना नहीं और उसका मुख्य कारण वहां की बेकारी की समस्या है। एक तो वहां अशिक्षित लोग हैं लेकिन जो पढ़े लिखे लाखों बेकार हैं आज उनको काम न मिलने की वजह से वह डकैतियों में और ऐसे ही दूसरे कामों में हिस्सा ले रहे हैं जिसके चलते आज वहां यह हालत पैदा हो गयी है। तो पढ़े लिखे लोगों को काम न मिलने की वजह से वे डकैती करने पर मजबूर हो जाते हैं ट्रेन्स में, बसों में। जहां ऐसी स्थिति होती उस राज्य की स्थिति क्या होगी। वहां आज 15 लाख लोग तो जो रजिस्टर्ड बेकार हैं, उनमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनका कोई शुमार नहीं किया जाता वह तो लाखों की तादाद में है और वे लोग अंधकार में अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। तो बेकारी की समस्या को हल करने के लिये बिहार में छोटे और मझोले उद्योगों को विकसित करने की जरूरत है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उस तरफ सरकार को

ध्यान देने की जरूरत है। उनके लिये जहां तक साधन जुटाने की बात है, बड़े बड़े उद्योग वहां पर हैं लेकिन उनसे जो फायदा बिहार को होना चाहिये वह उस राज्य को नहीं मिल पाता। उनसे जो उत्पादन होता है चाहे वह खनिज के रूप में हो या वह लोहे या दूसरी चीजों की शकल में, उसका इस्तेमाल हम छोटे उद्योगों के विकास के लिये नहीं कर पाते हैं। इस लिये उसका फायदा या तो बड़े-बड़े पूंजीपति उठाते हैं या राष्ट्र के दूसरे उद्योगों में उनका उपयोग होता है लेकिन बिहार के फायदे के लिये जो उनका उपयोग होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। जैसे अबरक है या कोयला है और ऐसी ही अन्य चीजें हैं जिनका बिहार में काफी उत्पादन होता है वह विदेशों में निर्यात भी क जाती हैं और उनसे सरकार को राजस्व भी मिलता है लेकिन उसका हिस्सा बिहार को नहीं मिलता है इसलिये कि उनके सेंटर बिहार में नहीं है। उन के सेंटर बिहार के बाहर दूसरी जगहों में हैं। इस वजह से भी बिहार के बजट के लिये कमी होती है। अभी बिहार के ऊपर ग्यारह सौ करोड़ रुपये का कर्ज है केन्द्र का और डेढ़ सौ करोड़ रुपये हर साल उसके सूद में सेंटर को चुकाने पड़ते हैं। केन्द्र की ओर से जो भी मदद योजनाओं के लिये दी जाती है वह कर चुकाने में ही खर्च हो जाती है। तो यह जो तात्कालिक समस्याएँ हैं केन्द्र का उस ओर ध्यान होना चाहिये। बिहार में जो भी योजनाएँ हो चाहे बिजली की हों, चाहे सिंचाई की हों, वह अमल में नहीं आयेगी तो बिहार भूख की समस्या को हल नहीं कर सकेगा। . . .

(Interruptions)

श्री उपसभापति : कुछ समय का ध्यान रखिये। पन्द्रह मिनट हो गये आपको।

श्री भोला प्रसाद : दो मिनट और लूंगा । श्रीमन्, जहां तक हरिजनों के ऊपर हमले जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बारे में पहले भी मैं ध्यान सरकार का दिला चुका हूं। पिछले दिनों इस पर जो बहस हुई उसमें भी सरकार की ओर से जो कुछ आश्वासन दिया गया, इसको रोकने के लिये उस पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। यह जो हरिजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के चेयरमैन को रिपोर्ट है, जो उन्होंने सुझाव दिये हैं कि कमजोर वर्गों के लोगों पर जो बढ़ते हुए हमले हैं उनको रोकने के लिये कारगर कदम उठाये जाने चाहिये और सरकार के आश्वासनों पर सख्ती से अमल होना चाहिये। इसके लिये भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से अमल में लाना चाहिये। न्यूनतम मजदूरी कानून पर सख्ती से अमल किया जाये और ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, पुलिस के अन्दर ऐसे सामन्ती तत्वों को जो भूस्वामियों के साथ मिलकर, उन पर हमले करते हैं, उनके साथ हाथ बंटाते हैं या मदद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। इतना ही नहीं, हरिजनों के ऊपर एक तरफ से हमले हो रहे हैं और गृह मंत्री ने यह बयान दिया कि हम यह करने जा रहे हैं, वह करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हरिजनों पर हमले रोकने के बजाय नक्सलवादी खतरे के खिलाफ योजनाएँ बनाई जा रही हैं। एक तरफ बिहार में हरिजनों पर, गरीबों पर हमले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये... (Interruptions)

श्रीमती सरोज खापड़ें (महाराष्ट्र) : इनको कौन बना रहा है? आप ही लोग बना रहे हैं।... (Interruptions)

श्री भोला प्रसाद : उपसभापति जी,

इन हमलों को रोकने के बजाय आज वह नक्सलवादी प्रवृत्ति और नक्सलवादियों के खतरे का हौवा बनाकर उनको रोकने के लिये एक हजार सी. आर. पी. का फोर्स मंगा रहे हैं। वहाँ के अखबारों से जाहिर होता है कि नक्सलवादी खतरा बिहार में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए सी० आर० पी० का फोर्स मंगाया जा रहा है मैं कहना चाहता हूँ कि नक्सलवादी खतरे से जरूर होशियार होना चाहिये लेकिन हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार हरिजनों पर हमलों को रोकने के लिये जो भी वायदे करती है। उस पर अमल नहीं करती है। भूमि सुधार योजनाओं पर अमल नहीं करती है अगर ऐसा नहीं करती है तो नक्सलवादी खतरा बढ़ेगा और एक हजार या 10 हजार का फोर्स भेज देने से यह खतरा दूर नहीं होगा। इसलिये सरकार को इस बात को देखना चाहिये कि अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ फोर्स न भेज दी जाये। एक तरफ ऐसे गिरोह हैं, जिसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे बेगूसराय में एक कामदेव सिंह हैं। वह करोड़ों का कारबार करता है, स्मगलिंग करता है। आज वे सैकड़ों आधुनिक हथियारों से लैस हैं। वे न केवल डकैतियाँ करते हैं बल्कि वे राजनीतिक हत्याएँ करते हैं। आमतौर से वे आदमियों की हत्याएँ करते हैं और उसको बढ़ावा मिलता है प्रशासन के कुछ अफसरों से और सरकार के लोगों से। अगर इसको रोकने के लिये कार्रवाई नहीं की गई तो बिहार में बिगड़ती हुई हालत को नहीं सुधारा जा सकता। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ।

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, मैं भी विधेयक का समर्थन करने के

लिये खड़ा हुआ हूँ। आज बिहार के आर्थिक रीढ़ टूट गयी है। पीछे वर्षा न होने के कारण धान की फसल नहीं हो सकी और धान की फसल खासकर छोटा नागपुर, नार्थ बिहार के तीन-चार जिलों में, संथाल परगना में और पटना में रोहतास आदि इन सभी जिलों में जहाँ प्रायः अधिक होती है वहाँ भी नहीं हुई है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर रबी की फसल भी मारी गई है। आज अकाल की स्थिति सारे बिहार में छाई हुई है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे छोटा नागपुर सब-डिवीजन, चईबासा, रांचो, हजारीबाग, सिंहभूमि इत्यादि जगहों से लोग हजारों की संख्या में भूटान की तरफ नौकरी के लिये चले जा रहे हैं। लोग जड़ी-बूटी को लेकर के, बाँयल करके अपने पेट का पोषण करते हैं। सधुवा के बीज जो गिरते हैं उसको कूट कर बायल करके खाते हैं। दूसरे जो जंगली फल हैं उनको खा कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं मीठा नाम का एक पौधा होता है जो बहुत बड़ा होता है उसको जमीन के नीचे से खोद कर निकालते हैं। दिन भर खोदने के बाद किलो, दो किग्रा घर पर ले कर आते हैं। उससे अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि जल्द से जल्द अगर छोटा नागपुर की समस्या को हल नहीं किया गया, वहाँ अन्न नहीं पहुँचाया गया तो वहाँ लोग भूख से मरने लगेंगे जैसा मैंने अभी बताया कि लोग अभी से जा रहे हैं रोजगार के लिये। क्योंकि रोजगार का जो जरिया था वह भी अब खत्म हो गया है।

मैं एक बात बता दूँ कि छोटा नागपुर में एक ही फसल होती है वह है धान की फसल। रबी की फसल वहाँ नहीं होती है। धान और रबी दोनों की फसल न होने के कारण आज वहाँ के किसान, खेत मजदूर और दूसरा जो भी तबका है

आज काफी पीड़ित है। सरकार को चाहिये कि वह लोगों के लिये परवर्जित पावर बढ़ाने की व्यवस्था करे। लोगों को काम दिया जाए। जो फूड फार वर्क का काम चलता था उसको नये सिरे से बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि फूड फार वर्क का जो काम जनता पार्टी ने चलाया था उसका काफी गेहूँ ब्लैक मार्केट में चला गया था। काफी पैसा लोगों की पाकेट में, गांव के मुखिया की पाकेट में चला गया था। इसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं यह चाहूँगा कि उत्तरी बिहार के संथाल परगना में जल्द से जल्द रोड के द्वारा राशन पहुँचाने की व्यवस्था करें, नहीं तो वहाँ भी भुखमरी शुरू हो जायेगी।

आपको पता है कि बिहार कृषि प्रधान प्रांत है। डा० राम मनोहर लोहिया एक बार चम्पारन में गये थे। उन्होंने वहाँ की उर्वरक भूमि को देखा और कहा कि यह सारे हिन्दुस्तान की गोनरी बन सकती है। अगर वहाँ सिंचाई, बिजली आदि का उपयोग किया जाए तो सचमुच बिहार सारे देश को अन्न खिला सकता है। लेकिन आज स्थिति क्या है? गंडक योजना को आज से बहुत पहले सिंचाई के लिए ले लिया गया था। इसको बने हुए 15-20 वर्ष हो गये हैं, लेकिन आज तक भी वह पूरी नहीं हुई है। बिहार के लोगों ने वहाँ की एसेम्बली में यह बात बार बार कही है और भारत सरकार से कहा है वह गंडक योजना को जिस पर काफी रुपया खर्च हो चुका है, अपने हाथ में ले ले और इस योजना का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर पूरा करे। पहले यह 48 करोड़ रुपयों की योजना थी, लेकिन आज इस पर अब बँवें रुपया खर्च हो चुका है और बहुत से आफिसर और कंट्रैक्टर मालो माल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बिहार के किसान यहाँ आशा करते थे कि सन् 1970 तक इस योजना

[श्री रामानन्द यादव]

से उनको पानी मिलने लगेगा, लेकिन आज सन् 1980 आ चुका है, किसानों को पानी का एक कतरा भी नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूँ कि अगर गंडक योजना को पूरा किया जाय तो अन्न के मामले में बिहार अन्न का भंडार बन सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस योजना को सरकार पूरा करे और गंडक के काम को भारत सरकार अपने हाथ में ले।

श्रीमन्, अब मैं बिजली की तरफ आता हूँ। बिहार में राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है। लेकिन यह बिजली बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो भ्रष्टाचार के लिए एक चरागाह बना हुआ है। जो भी मिनिस्ट्री आती है वह अपने मन के मुताबिक अपने लोगों को उसमें भर देती है जिससे कि कंटेक्टर के माध्यम से काफी रुपया कमाया जा सके। इस प्रकार से यह बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। एक एक इंजीनियर अपने तबादले के लिए और दूसरे कामों के लिए लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रयास किया था कि रिटायर मिलिटरी अफसरों को बिजली बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाय। लेकिन इंजीनियरों ने हल्ला कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। रिटायर अफसर नहीं होना चाहिए, आई० सी० एस० अफिसर नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए ताकि लूट-खसौट की जा सके। बिहार के गांवों में जितने कीलोमीटर तक बिजली पहुंची है और उस पर जितना रुपया खर्च हुआ है उसको देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि बिहार का बिजली बोर्ड सबसे रद्दी बिजली बोर्ड है। हमारी सरकार के सिंचाई और बिजली मंत्री जी ने जो यह बयान दिया था कि प्रान्तों में बिजली वितरण के काम को और बिजली बोर्डों को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, वह उचित है। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार बिजली बोर्डों को अपने अधीन कर ले और

उनके चेयरमैन के पद पर रिटायर मिलिटरी अफसरों को लगाये जो निश्चित रूप से कुछ काम करना चाहते हैं। बिहार में बिजली बोर्ड के चेयरमैन के पद पर एक मिलिटरी आफिसर गया तो उसको हटाने की मांग की गई। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि वह प्रान्तों के बिजली बोर्डों को अपने हाथ में ले ले और रिटायर मिलिटरी आफिसरों को वहां पर भेजे ताकि वे वहां पर डिसिप्लिन कायम करवा सकें और किसानों को पानी और बिजली उपलब्ध करा सकें।

उपसभापति महोदय, बिहार में खेत मजदूरों की संख्या अब 35 प्रतिशत हो गई है और यह संख्या सारे देश में सबसे अधिक पड़ती है। बिहार में किसान लोग अपनी खेती पर काम करने के लिए खेत मजदूरों को लगाते हैं। चाहे रबी की फसल हो, धान की फसल हो या अन्य कोई फसल हो, किसान लोग इनको अपने खेतों में काम करने के लिए लगाते हैं और जो कुछ मजदूरी इन लोगों को मिलती है उसी से वे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहार में सूखा पड़ा हुआ है और दोनों फसले सूख जाने के कारण खेत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। खेत मजदूरों में अधिकांश लोग हरिजन और पिछड़ी जातियों के हैं। सूखे के कारण आज इन लोगों में तबाही मची हुई है और इन लोगों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। मैं चाहूंगा सरकार से कि सरकार उन खेत मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था काम की करे कि उनके लिये क्या हो सकता है। फूड फार वर्क जो प्रोग्राम था देहातों में उसको जल्द से जल्द शुरू करें हार्ड मेनुअल वर्क को शुरू करें। यही नहीं कोआपरेटिव बनाकर उनको काम देने के लिये जिस तरह से महाराष्ट्र में हैं, सेल्फहिल्पाइमेंट के काम का एक्सपैरीमेंट हुआ, उसी पद्धति से भी यहां शुरू करने की आवश्यकता है, तभी जाकर बेकारी की जो समस्या है वह हल हो सकती है। उपसभापति

जी, बिहार सरकार ने अनेकों कानून खेत मजदूरों के फायदे के लिये बनाये, मिनिमम वेजज एक्ट, लैंड सेटलमेन्ट एक्ट, होम स्टेट एक्ट बने थे, उनमें मिनिमम वेजज फिक्स किये गये। लेकिन सारा का सारा पेपर पर धरा रह गया। क्या कारण है जो लैंड सीलिंग एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, बटाईदार बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, होम स्टेट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सका ? जितनी परती सरकारी जमीन थी बंदोबस्त में जिस बड़े आदमी के खेत के सामने वह जमीन थी वह उसके नाम से बंदोबस्त में हो गई। सारा एडमिनिस्ट्रेशन में देखता हूं कि मंत्री जी से लेकर, एम० पी०, एम० एल० ए० तक, सारे सरकारी मलाजिम सभी लोग उस लैंड एरिस्टोक्रेसी वर्ग से आते हैं जो लैंड रिफार्म को इम्प्लीमेंट कराने में बाधक होते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जो कुछ कांग्रेस की रिजीम में लैंड रिफार्म हुआ है, उस लैंड रिफार्म का इम्प्लीमेंट आइरन हूड्स से करें तो तभी खेत मजदूरों की भलाई हो सकती है। आज क्या कारण है कि बिहार राज्य में हरिजनों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उपसभापति जी, उनके पास जमीन नहीं है। गांव में जमीन प्रतिष्ठा का कारण है। उनके लोग नौकरियों में नहीं हैं। नौकरी भी एक प्रतिष्ठा का कारण है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। यह दोनों उसके पास नहीं हैं न नौकरी है और न जमीन है। तो फिर समाज में वह कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। उपसभापति जी, मैं चाहूंगा कि खेत मजदूरों के सम्बन्ध में खास करके सरकार को चिंतित रहना चाहिये और इसके सम्बन्ध में जो भी कानून बने हैं आज अगर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाय तो उससे उनका बहुत बड़ा भला हो सकता है। बिहार राज्य में न जाने हरिजनों पर कितना अत्याचार होता है। लेकिन अब यह बात छुपी हुई नहीं है कि किन लोगों ने अत्याचार किया। उपसभापति जी, अब एक बड़ी बात शुरू हो गई है कि जिस

गांव में जिस समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, जिनके लठे हैं, डंडे वाले हैं वे हरिजनों के वोटों को गिरने नहीं देते हैं। आज प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में भी जनता पार्टी के लोगों ने इस बात की सीख दी है अभी पिछले चुनाव में और आने वाले चुनाव में यह होगा। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हरिजन और दूसरी जाति के जो लोग हैं वे कांग्रेस को अपना वोट दगे। इसलिए वे लाठी के बल से उनको वोट नहीं देने देते। यह कोशिश की गई कि हरिजनों के जो वोट हैं, वोटसँ हैं उनको घेरा जाय और घेरा गया। इससे यह स्पष्ट है कि उनके पोलिटिकल राइट को, उनके इकानामिक राइट को सारे का सारा करटेल कर दिया गया है इस बात को सोचा जाना चाहिये। ऐसा हुआ है कि पूरे टोले को, हरिजनों की बस्तियों के लोगों को इस बात के लिए रोका गया ताकि वे वोट न दे सकें। उपसभापति जी, मैं चाहूंगा कि सरकार खेत मजदूरों की समस्या को सुधारने की तरफ ध्यान दें।

उपसभापति जी, उत्तरी बिहार को एक इंडस्ट्री है शूगर केन इंडस्ट्री। इस पर काफी किसान आश्रित हैं और केन, ईख एक ऐसा मनी क्राप्स है जिसको पैदा करके उत्तरी बिहार के किसान अपनी साल भर की आमदनी का जरिया बना लेते हैं। परन्तु आज स्थिति यह है कि 28 शूगर मिल होने के बावजूद भी वहां का किसान अधिक गन्ना पैदा नहीं कर रहा है और मिलों की जितनी खुराक है उनको उतना गन्ना नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है उपसभापति जी कि किसान गन्ना पैदा करता था। पैदा करके मिलों को देता था। मिल वालों के पास बिहार में करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक किसानों के ईख का पैसा बकाया है इन 28 मिलों में से जिनमें 4 सिक मिल हैं और करीब 6 बिहार सरकार ने ले ली हैं, उन्होंने भी किसान का पैसा नहीं दिया है,

[श्री रामानन्द यादव]

मिल मालिकों ने उनका पैसा चुकता नहीं किया है। करीब 2 सौ करोड़ रुपए से अधिक रुपया सारे देश में मिल मालिकों के पास किसानों के गन्ने का बकाया पड़ा हुआ है।

मैंने एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी हासिल की थी कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब पैसा किसान का बाकी है। किसान तबाह हो गया है। किसान का पैसा बाकी रह गया तो उसने ईख पैदा करना बन्द कर दिया। ईख बन्द करदी तो मिल वाले कहते हैं कि हमको ईख पूरा नहीं मिलता। सारा सीजन न चला कर वे बन्द कर देते हैं। तब सरकार उनको मुआवजा देती है कि चलाओ, तुम्हें छूट दे देंगे। इस तरह से मिल वालों ने खूब पैसा उठाया। लेकिन किसान को घाटा रहा। किसान मारा गया। जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता के लिए चीनी इस साल पैदा कम होगी। बिहार राज्य में काफी कम पैदा होगी। क्योंकि उसकी रिकवरी बहुत ही कम है। आगे चल कर चीनी नहीं मिलेगी। स्थिति इस तरह की पैदा हो गई है कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मिल मालिकों को किसी न किसी तरह से कानूनी पेच में रख कर किसान का जो पैसा बाकी है उसको चुकता करा दिया जाए।

श्री उपसभापति : समाप्त कीजिए...

श्री रामानन्द यादव : अभी समाप्त कर रहा हूँ। यह किसान को नकद रुपया देने वाली क्राप है जिससे वह अपनी हालत ठीक कर सकता है। पिछली जनता सरकार ने अडल्ट एजुकेशन के लिए काफी पैसा मुहैया किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह अडल्ट एजुकेशन पर जो पैसा खर्च किया था, बिहार राज्य में कितना खर्च किया गया था, कितने आदिमियों

को शिक्षा दी गई थी और कौन-कौन सी एजेंसियाँ थीं जिनके माध्यम से पैसा दिया गया? इन एजेंसियों को पेमेंट करने की कौन सी मशीनरी थी और यह पेमेंट किस ढंग से की गई? यह पेमेंट ट्रेजरी से किया गया, कहां से किया गया? मेरी जानकारी यह है कि करोड़ों रुपए इसमें अपव्यय किए गए। बिहार राज्य में जनसंघ का अखाड़ा है और काफी उसमें अपव्यय किया गया। जनसंघ के लोगों, जनता पार्टी के लोगों ने, लोकदल के लोगों ने हर तरह से झूठ बना कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, एस०डी०ओ के यहां बिलों के परचे ले जाते थे और पेमेंट उनकी की जाती थी। उन्होंने पढ़ाया नहीं। इस तरह से यह स्थिति हो गई और पैसा अपव्यय हुआ मैं चाहूंगा कि एडल्ट एजुकेशन के ऊपर जानकारी करने के लिए सरकार एक कमीशन बैठाये कि उन पैसों का दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ।

उपसभापति महोदय, भगवान बुद्ध ने कहा था कि बिहार को तीन बातों से खतरा है, फलड़, आग और आन्तरिक कलह। आज बिहार इन तीनों समस्याओं से ग्रसित है। आप जानते हैं हर साल बाढ़ आती है और हर साल पैसा कुछ न कुछ भारत सरकार देती है और वह पैसा चला कहाँ जाता है इंजीनियर साहब की बगली में चला जाता है। कुछ ऐसे कंट्रोलर हैं, लुटेरे हैं जिनकी बगली में पैसा चला जाता है। फिर दूसरे वर्ष उसी तरीके से बाढ़ आ जाती है और किसान तबाह हो जाता है। अन्न की पैदावार घट जाती है। लोगों के घर गिर जाते हैं। पशु मर जाते हैं। हर साल यह स्थिति होती है। मैं चाहूंगा कि बाढ़ को कंट्रोल करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई निश्चित योजना बना कर चलने की आवश्यकता है। अगर कंट्रोल नहीं किया गया, भारत सरकार कोई इंतजाम न कर सकी तो बिहार की सरकार पर गुनहसिर कर के बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।

जैसे कि एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा कि सारे का सारा पैसा एक मद से दूसरे मद में डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब मार्च का अन्तिम महीना शुरू हो जाता है, जितना पैसा एलोकेट किया हुआ होता है 15 दिन के अन्दर सब बिल बना कर कंट्रोलर के माध्यम से पैसा इंजोनियर्स की बगली में चला जाता है और बाकी जो बचा उसको सरेंडर कर दिया। यह स्थिति रही है।

आपने देखा कि गंडक योजना का पैसा करोड़ों रुपया बिहार सरकार ने पिछली दफा सरेंडर कर दिया जिस समय इरीगेशन मिनिस्टर श्री सच्चिदानन्द सिन्हा थे। अगर यही स्थिति रहेगी तो इससे बिहार का भला नहीं हो सकेगा।

श्री उपसभापति: कृपया स्पीच पर भी कंट्रोल करें।

श्री रामानन्द यादव: कंट्रोल करता हूँ। अभी समाप्त करता हूँ। उपसभापति महोदय, प्रेजीडेंट रूल हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। यह लोग इसी के पात्र थे। क्योंकि अगर अधिक दिनों तक इनको छोड़ दिया गया होता तो बेलछी, धर्मपुरा, पथरीडीह, पारसबीघा, दोहिया और पिपरा जैसे अनेकों कांड होते। लेकिन गवर्नमेंट को एक सूझ हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि प्रेजीडेंट रूल ला दिया। लेकिन एक बात सरकार ने नहीं की। सरकार को चाहिए था कि हर पक्ष के लोगों को जो पार्लियामेंट में चुनकर बिहार से आए हुए हैं उनकी एक एडवाइजरी कमेटी बनाती और वह कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक तथा ब्लाक लेवल से लेकर कारपोरेशन लेवल तक बना देनी चाहिए थी। मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब के लिए जो एडवाइजर एप्पाइंटेड हैं उनके अलावा हमारे जो बिहार राज्य से एम० पीज हैं दोनों सदनों के, उनकी एक एडवाइजरी कमेटी बना दी

जाये। इनसे सलाह लेनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाया जाये तथा समय-समय पर गवर्नर साहब को इस बात के लिए करना चाहिए। मेरी गवर्नर साहब से कोई शिकायत नहीं है लेकिन एक बात जरूर है कि जिस आदमी ने दूसरे की रिजिम में काम किया हो अगर वह इनकन्वीनियन्ट फील करता हो, अच्छा नहीं फील करते हों तो उसको आप हटा सकते हैं। ऐसे निहायत सच्चे आदमी हैं।

He needs advisers—advisers in the shape of politicians.

इन एम० पी० लोगों का मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि, एडवाइजरी कमेटी में स्थान निश्चित रूप से ब्लाक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक बन जाना चाहिए उपसभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार): उपसभापति जी, सर्वप्रथम मैं यह जो हमारे बिहार का बजट है उनका अनुमोदन करता हूँ और साथ ही साथ भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि बिहार की जो स्थिति थी अभी लोकसभा के चुनाव के बाद, जो जनता की ओर से फैसला मिला उसके अंतर्गत उन्होंने बिहार राज्य को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ला दिया।

उपसभापति जी, 1977 के वक्त में आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी को 22 प्रतिशत मत मिले थे और यही दलील देकर हमारे तत्कालीन कानून मंत्री श्री शांति भूषण थे उन्होंने कहा था :

"If a situation arose in which serious doubt was cast upon the Government in respect of enjoying continued confidence of the people, then the provision of premature dissolution of the Assembly immediately came into question."

उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने, चूंकि इन्हें भी 1980 में 22 प्रतिशत, जनता

[श्री महेन्द्र मोहन मिश्र]

पार्टी की सरकार जो थी, वोट मिले थे अतः उसी दलील के अन्तर्गत बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लाया गया। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, वह अलग है। बिहार में कानून और व्यवस्था का प्रश्न था उसकी मिसाल कहीं नहीं है। बेलछी कांड से लेकर पिपरा कांड तक आपने देखा होगा। हम नहीं कहते हैं कि हमारे शासन में हरिजनों पर अत्याचार नहीं था। लेकिन जिस क्वालिटी का, जिस तरीके से हरिजनों पर अत्याचार जनता शासन में हुआ उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है, हिन्दुस्तान में तो नहीं ही है दुनिया में भी नहीं है। जिंदा जलाना, स्त्रियों के साथ बेइज्जती करना यह रवैय्या जनता पार्टी का हो गया था। मैं इसलिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बिहार की जो स्थिति थी उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लाना ही एक असल दवा थी। हमारे बिहार के सदस्यों ने 2-3 बातों पर प्रकाश डाला है। मैं हरिजनों पर अत्याचार के सिलसिले में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि हरिजनों पर जो अत्याचार हुए, पिपरा में इस वक्त जो कांड हुआ उसमें हमारे राष्ट्रपति शासन में भारत सरकार का और खास कर इंदिरा जी का जो एक निर्णय है कि 15 दिन के अंदर में उन्होंने आदेश दिया है कि पिपरा के मुजरिमों को चार्जसीट देकर उन पर न्यायिक मुकदमा चलाया जाय। परन्तु बेलछी कांड में तीन साल हो गए पर आज तक उस केस की सुनवाई नहीं हुई। अभी हाल में जब उनका शासन जा रहा था तो चार्जसीट किया गया है। लेकिन पिपरा कांड में 15 दिनों के अंदर यह हो रहा है। यह पहला अवसर है कि 15 दिन के अंदर चार्जसीट तैयार होकर न्यायाधिकार में सुनवाई के लिए जायेगी। हम मुस्तैद हैं, हम चाहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार जो हो रहे हैं, वे कम किये जायें और इसके लिए मैं खासकर जो हमारा राष्ट्रपति शासन है जो हमारी सरकार है उसका ध्यान बिलाना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादी

कार्यक्रमों, आर्थिक कार्यक्रमों को उठाने के लिए जो हमारे देश में विरोधी शक्तियाँ हैं, जो तैयार हैं जो चाहती हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह से भारत-वर्ष में एक कैबिनेट की कंडीशन हो। इसलिये मैं खास कर जो राष्ट्रपति शासन में हमारे पदाधिकारी बिहार में हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि कानून और व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये। 1980 के आम चुनाव हुए। अभी 3 महीने के अंदर असेम्बलियों के चुनाव होने वाले हैं। मैं उत्तरी बिहार, खास कर मुजफ्फरपुर के बारे में कहना चाहता हूँ जहाँ से फाईस साहब जीव कर आये हैं कि वहाँ 50 लाख रु० खर्च करके 500 जीप लेकर हमारे वोटों को लूटा। हमारी जनता, हमारे पीपुल वहाँ की कांग्रेस (आई) के पीछे थी लेकिन इन लुटेरों ने जीप से लेकर कार से लेकर 25000 कम्बल बाटे, 500000 रु० खर्च किये, 50 हजार साइकिल बाटे। यह इनका तरीका है। मैं राष्ट्रपति के शासन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको खास तौर पर हिदायत करना चाहता हूँ कि 2 मास के अंदर आपके द्वारा अगर कानून और व्यवस्था बिहार के अन्दर नहीं सुधरी तो ये लुटेरे लोग फिर वोट छीन लेंगे। मैं चाहता हूँ कि देश में फ्री एण्ड फेयर इलेक्शन होने चाहिये। इसलिये ला एण्ड आर्डर के जो हमारे संचालक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बिहार में, मैं खास कर उनकी ओर इशारा करना चाहता हूँ, अगर ला एण्ड आर्डर में ये बड़े पदाधिकारी अपनी को सदांम नहीं पाते हैं तो किसी तरह से न कोई जात न कोई पात इन सब को भूल कर हमें उनका तबादला करना चाहिये। यह बात सही है कि कुछ हमारे पदाधिकारी बिहार में ऐसे हैं जो जात पात से उठ कर काम नहीं करते हैं, एक ही

उनका इरादा है—जात को बचाना है। मैं चाहता हूँ, राष्ट्रपति शासन में भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिये और सरकार को कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिये और ऐसे पदाधिकारियों का निश्चित तौर पर तबादला करना चाहिये।

दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ उपसभापति महोदय, जनता पार्टी की उपलब्धियाँ बिहार में दो रहीं। एक तो रिजर्वेशन का मामला था। यह करने का इरादा उन का नहीं था लेकिन गाँव गाँव में जो वर्षों से एक सामाजिक सौजन्यता थी उस सामाजिक सौजन्यता को जनता पार्टी ने तोड़ दिया। वर्षों से हमारे इतिहास में, संस्कृति में रही हिन्दू, मुसलिम और ईसाई हम सब है भाई भाई। इस सब को जनता पार्टी ने बिहार में खत्म किया बड़े पैमाने पर। यह जनता पार्टी की एक उपलब्धि है।

दूसरी उपलब्धि जनता सरकार की यह रही—झूठे मुकदमें बना कर फँसाने की। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र पर झूठा मुकदमा चलाया, गाय चुराने का, मवेशी चोरी करने का। इस तरह फँसाया गया। जब पीपुल ने हमें मँडेट दिया, उनके जाँलिम हरकतों को हटाने की कार्यवाही हमने की। आप जानते हैं कैसे झूठे मुकदमें हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर चलाये, किस तरह से हंगामा खड़ा करके शाह कमीशन हो जाहे और कमीशन हो, ऐसी फिजाँ पदा की जिसकी मिसाल नहीं जिस पैमाने पर डा० जगन्नाथ मिश्र के साथ उन्होंने मामला चलाया, वह उनकी प्रतिशोध की भावना व्यक्त करता था। लेकिन ललित नारायण मिश्र जो बिहार के निर्माता माने जाते हैं, उन के नाम पर मिथिला विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय से भी उन लोगों ने नाम हटा दिया। यह उनकी चरम सीमा है,

यह उन की नीचता है। मैं चाहता हूँ, राष्ट्रपति शासन में ये सारी बातों के ऊपर विचार करना चाहिये। इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि 3 वर्षों में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ वर्षों से इम्तिहान नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ऐसा करके दिखलाएं, जो कि और प्रांतों में भी हो, कि नियमित रूप से विद्यार्थियों के पढ़ने-लिखने की व्यवस्था हो क्योंकि विद्यार्थी भविष्य का शासक है।

विजली के बारे में हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। बिजली बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बन गया है, लाखों-लाखों रु० उसमें खर्च हो रहा है। इन्स्टाल्ड कपेसिटी कई सौ मैगावाट है मगर उसका भी फेयर संचालन और डिस्ट्रिब्यूशन नहीं कर सकते। इसका एक कारण यह है कि जनता पार्टी के तीन वर्षों में कोई योजना ही नहीं थी। बहुत से हमारे थर्मल प्रोजेक्ट मेन्टेनेंस न होने के कारण अँरसही चीजों के मौहँय्या न करने और रिपेयर न करने के कारण बेकार हुए। नतीजा यह है कि वह फेल कर जाते हैं। इसलिये मैं राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ कि इन सारे कार्यों पर निगरानी करेंगे। उपसभापति महोदय, यह एक बहुत लम्बी कहानी है, इतने समय में मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ उन पर कमीशन हुए चोरी में पकड़ा गया—ऐसे लोगों को ऊँचे ओहदों पर न रखा जाये।

चौथी बात, उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह डीजल की, तेल की, चीनी की, सोडा की जनता की राजेमर्रा की समस्या है। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ हमारे जिलों में जो वितरण प्रणाली है उस में दोष है। मैं रामानन्द जी के प्रस्ताव से सहमत हूँ कि हर जिले में मुस्तीबी

[श्री महेंद्र मोहन मिश्र]

के साथ, समय न लगा कर निगरानी समिति हो, विजिलेंस कमेटी हो जिस में भूतपूर्व विधायक हों, एम० पी० हों, नागरिक रिप्रेजेंटेटिव हों, इन की कमेटी बनाइये नहीं तो फिर जो एन्टी-सोशल एलीमेंट हैं जो चाहते हैं के आस हो वे फिर आप को बदनाम करेंगे और हिन्दु-स्तान में और खासकर बिहार में ऐसा वातावरण बनेगा कि भुखमरी की बात होगी ।

उपसभापति जी, जहां तक ड्राउट का ताल्लुक है, हमारे प्रान्त के 31 जिलों में से 17 ड्राउट-एफेक्टेड डिक्लेयर कर दिये गये हैं । चार महीने पहले ड्राउट-एफेक्टेड किया गया, लेकिन जो फेमिन कोड है, जो उस के तरीके हैं संचालन के उनको एप्लाई नहीं किया गया । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन-जिन क्षेत्रों को ड्राउट-एफेक्टेड घोषित किया गया है उनमें उस के मेनुअल को लागू करने की व्यवस्था निश्चित तौर पर करे ।

फ्लड हमारे प्रान्त की देन है । फ्लड हर साल उत्तरी बिहार में आता है । उसके प्रीवेन्टिव मेजर्स, रिलीफ के मेजर्स न किये गये तो दो महीने के बाद फ्लड का ऐसा वातावरण बनेगा कि हमारे प्रान्त के 6 करोड़ लोग तबाह हो जायेंगे । मैं खास कर इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है लेकिन पैसा खर्च करता नहीं जानता है । जनता पार्टी आयी तो उसने प्रथम बार 34 करोड़ रुपया वापस कर दिया, लेप्स किया, दूसरे साल में 57 करोड़ लेप्स किया । अभी तक 416 करोड़ में से 136 करोड़ खर्च हुआ है । जिन मदों में हमको पैसा मिलता है उसको सही रूप से खर्च करें ताकि आम लोगों की परचेजिंग केपेसिटी बढ़े और प्रान्त की उन्नति हो ।

इसी हमारी कांग्रेस ने बीस-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने के अन्तर्गत और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत छोटी-छोटी काटेज

इंडस्ट्रीज को शुरू किया था । उन सारी चीजों को जनता पार्टी ने बन्द सा कर के रखा हुआ है । मैं चाहूंगा कि सरकार उन काटेज इंडस्ट्रीज को फिर शुरू करने की ओर ध्यान दे जिससे रोजगारी बढ़े ।

हमारे मुजफ्फरपुर में आई० डी० पी० एल० की फैक्ट्री है । बिहारी राज्य के ब्रुस एण्ड फार्मेस्युटिकल्स ने उसी आई० डी० पी० एल० की फैक्ट्री की बगल में एक फैक्ट्री की योजना बनायी थी, लेकिन दुर्भाग्य से जनता पार्टी की जो सरकार आयी उस में उद्योग मंत्री वसावन बाबू थे जो हाजीपुर से आते हैं उन्होंने गत सितम्बर महीने में आदेश दिया कि इसे हाजीपुर ले जाओ । जिसके लिए जमीन एकवायर हो गयी, मुआवजे का पेमेंट हो गया, जो आई० डी० पी० एल० से सटा हुआ है, हाफ ए माइल की दूरी पर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक दूसरे से ताल-मेल हो सकता है उसकी शिफ्टिंग को रोकें और उसे न जाने दें ।

सभी लोग कहते हैं कि आज वैगन की कमी के कारण बहुत सी चीजों के यातायात में मुश्किल है । मुजफ्फरपुर में एक वैगन फैक्ट्री है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है उसको आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से लेने का प्रस्ताव करें जिस से कि वे रेलवे के अन्तर्गत आ जाय और मुजफ्फरपुर का वैगन कारखाना रेलवे के अन्तर्गत चले । इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं और मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्रीमान्, माननीय सदस्यों ने जो बिहार से आते हैं या बिहार के बाहर से आते हैं, इस बहस में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उनको मैंने नोट किया है । कुछ माननीय सदस्यों ने केवल आलोचना करना ही अपना फर्ज समझा है । हम उनकी आलोचना को आलोचना के तौर पर नहीं, सुझाव के तौर पर मान कर चलते

हैं और इसलिये जो बातें कहीं गयी हैं उनको यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री शहाबुद्दीन साहब ने जहां बिहार की ओर बातों की चर्चा की, ला एंड आर्डर की, बढ़ती हुई बेकारी की और बेकवर्डनेस की, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने फूड फार वर्क प्रोग्राम शुरू किया था, उसको बन्द न किया जाये। श्रीमन् एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में और दूसरे सदन में भी सरकार इसको स्पष्ट कर चुकी है कि इस काम को बन्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है बल्कि हमने तो स्पेशल फूड फार वर्क प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत और अनाज न केवल बिहार को बल्कि और अन्य राज्यों को दिया जा रहा है ताकि लोगों को उससे रोजगार मिल सके। श्रीमन्, यह केवल फूड फार वर्क का ही सवाल नहीं है जो भी और अच्छी-अच्छी योजनायें हैं, उन में से कुछ ऐसी हैं कि जो जब हम पिछली बार शासन में थे तब वे चालू की गयी थीं उनको भी जारी रखना हमारा फर्ज है ही, लेकिन बीच की सरकार ने भी जो अच्छी योजनायें चालू की हैं उनको भी हम जारी रखना चाहते हैं।

ट्राइबल वेलफेयर के बारे में उन्होंने बहुत चिन्ता व्यक्त की, लेकिन उनको इस बजट से जानकारी मिल गयी होगी कि पिछली बार जितना धन दिया गया था इस बार उससे ज्यादा राशि ट्राइबल वेलफेयर के लिये दी गयी है। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर के आप का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आंकड़े बहुत अच्छी तरह से इस बजट में दिये गये हैं।

श्रीमन्, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने बहुत दुख और वेदना के साथ जहां हरिजनों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा की, वह हम सब के लिये चिन्ता का विषय है। समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वह सदन का सदस्य को अथवा बाहर का, इन बातों से चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता।

बिहार के अन्दर यह और ऐसी कारगुजारियां कुछ ज्यादा ही हो रही हैं और ऐसा लगता है कि जहां इस तरह की घटनायें एक तरफ सामाजिक विकास की वजह से होती हैं वहां दूसरी तरफ उनके लिये एक कारण आर्थिक मुद्दा भी है क्योंकि कई मामलों में मालिक मजदूर का झगड़ा भी पाया गया है और रामानन्द जी ने ठीक बात कही है कि खेतिहर मजदूर की हालत जब तक नहीं सुधरेगी तब तक यह अत्याचार उन पर होते रहेंगे। इसलिये सरकार की आज से नहीं बहुत दिनों से इस बात की कोशिश रही कि जो भी सरप्लस लैंड है उसको निकाल कर लैंडलेस लेबरर्स में बांटा जाये और उचित मजदूरी लैंडलेस लेबरर्स को दी जाये और यह बात भी सही है कि उनका कोई संगठन नहीं हो सकता है इसलिये सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर जो हो सकता है वह सरकार करे। इस सिलसिले में जहां और योजनायें जारी की गयीं उसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखा गया कि छोटी-मोटी सिंचाई योजनाओं के जरिये से देहात के अन्दर ज्यादा सिंचाई के साधन जुटाये जायें जिससे कि जमीन किसी के पास चाहे थोड़ी ही हो लेकिन उससे ज्यादा पैदावार उसको मिल सके। इसलिये मैं बड़ी सिंचाई योजनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने अनेक नदियों के नाम गिनाये। हमारे देश में तो अनेक नदियां हैं, अनेक पर्वत हैं, अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदा है जिसका उपयोग तरह-तरह से करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उन्होंने जो आंकड़े देने की कोशिश की वह बात सही नहीं हैं। बिहार में आज भी हम देखें तो सरकार के लगाये हुए लगभग 4400 ट्यूबवैल हैं उनमें से साढ़े तीन हजार आज भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोगों द्वारा लगाये गये एक लाख 35 हजार ट्यूबवैल्स हैं और सरकार की कोशिश तो यह है कि जितने हम लगा सकें ज्यादा से ज्यादा, उतने हम लगायें सरकार की ओर से, लेकिन सरकार ने बैंकों

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

क जरिये और कोआपरेटिव्स के द्वारा ट्यूबवैल्स लगाये जाने की व्यवस्था करायी है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा देहातों में पहुँचे और अन्य योजनाओं के साथ-साथ ट्यूबवैल्स के लिये ही नहीं, अन्य छोटी योजनाओं के लिये भी उनको पैसा दिया जा सके।

श्री भोला प्रसाद: किसान आज मोटर बेच रहे हैं और अपनी बिजली कटवा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: आपको तो केवल बुराई ही नजर आती है। इसका इलाज क्या है। कुछ तो अच्छाई भी देखा करो।

श्री भोला प्रसाद: वहाँ ट्यूबवैल्स बिल्कुल काम नहीं करते।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: मैंने खुद कहा कि साढ़े चार हजार में से साढ़े तीन हजार ही काम कर रहे हैं। उनको रिपेयर करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने पटना के पास बनने वाले पुल की भी चर्चा की। यह सभी को पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण पुल है। बहुत कोशिश की जा रही है कि इस पुल को बना कर शीघ्र पूरा कर दिया जाए। लेकिन आपको मालूम हैं कि काम की शुरुआत होने के बाद और सरकार बदलने के बाद उस पुल में रुकावटें आईं और आजकल सीमेंट की कमी के कारण भी काम रुका हुआ था। सरकार की कोशिश है कि इस काम को पूरा करा दिया जाए।

श्रीमती लीला दामोदर मेनन ने इस बात की चर्चा की कि पब्लिक सेक्टर ग्रैंडरटेकिंग के अन्दर जो खर्चा होना चाहिए वह नहीं हुआ जिससे वहाँ लोगों को रोजगार नहीं

मिलता। श्रीमन्, जैसा कि आप भी जानते हैं, कुल पब्लिक सेक्टर ग्रैंडरटेकिंग के अन्दर 15668 करोड़ रुपये की लागत अभी तक लगी हुई है। लेकिन अनुपात की हैसियत हम देखें तो बिहार कहीं आगे निकलता है क्योंकि अब तक 2877 करोड़ रुपये बिहार के अन्दर ही पब्लिक सेक्टर ग्रैंडरटेकिंग में लगा हुआ है। काम के हिसाब से भी लगभग साढ़े चार लाख इंसान उन पब्लिक सेक्टर ग्रैंडरटेकिंग के जरिये काम पा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि बिहार को उसी अनुपात से काम नहीं मिला, यह ठीक नहीं है। सरकार की कोशिश होगी कि वहाँ और अधिक कारखाने लगाये जायें क्योंकि बिहार प्राकृतिक सम्पदा से भरा हुआ है।

श्री भोला प्रसाद जी ने पावर पोजीशन पर चिन्ता जाहिर की। बिहार की क्षमता 7 सौ मेगावाट बिजली के उत्पादन की है। लेकिन उसके मकाबले केवल 300 मेगावाट के करीब उत्पादन हो रहा है। निश्चित रूप से उससे खेती पर और कारखानों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। लेकिन उसके अनेक कारण हैं। हमारी कोशिश है कि धीरे-धीरे इन योजनाओं को हम फिर से चालू कर सकें जिससे न सिर्फ बिहार को बल्कि आस-पास के इलाकों को भी बिजली दी जा सके।

श्री रामानन्द यादव जी ने छोटा नागपुर और संथाल परगने में भुखमरी की चर्चा की। केवल इन इलाकों में नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी कई प्रान्तों में अकाल का बड़ा भारी प्रभाव है और जैसा कि आप जानते हैं सरकार की कोशिश रहती है कि जहाँ संभव हो उनको काम दे, पानी की कमी हो तो पानी पहुँचाये। हम केवल इस बात को ही ध्यान में रखकर नहीं चलते कि उनको काम मिले बल्कि इस बात को भी कोशिश करते हैं कि उनको समय पर खाना मिले।

इसलिए उस इलाके के अन्दर तीन एजेंसियां काम करती हैं। संथाल परगना के लिए एक आटोनोमस कारपोरेशन काम कर रहा है और छोटा नागपुर के लिए दो एजेंसियां काम कर रही हैं।

फूड फार वर्क स्कीम के अन्तर्गत 7600 छोटी-मोटी योजनाएं हैं। इनमें से 660 योजनाएं अभी हमारी जारी हैं जिनके जरिए से लगभग 1 लाख 10 हजार लोगों को काम मिल रहा है और आवश्यकता हुई तो इन योजनाओं को और जगह भी शुरू किया जाएगा जिससे और ज्यादा लोगों को काम मिल सके।

श्रीमन्, जहां और बातों की चर्चा की गई, उसके साथ-साथ बिहार के लिए कुछ पैसे की कमी उन्होंने बतलाई, अनुपात में कम देने की बात कही। मैं आंकड़े देकर अर्ज करना चाहूंगा कि बिहार और बातों में पीछे हो सकता है, लेकिन जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, बिहार को अधिक से अधिक दिया गया है। अभी 356.85 करोड़ की थी इससे पहले की योजना, वह अब 425 करोड़ रुपये की है। इसी प्रकार से पर-केपिटा आउट-ले जो कि पिछले साल 63 था वह अब 75 हो गया है। उसके साथ-साथ, श्रीमन् अगर सारे राज्यों का ओवर-आल पर-केपिटा देखा जाए तो वह 107 आता है, जब कि बिहार का 124 आ गया है। इसी प्रकार से सेंट्रल असिस्टेंस का सवाल उठाया गया। चाहे गाडगिल फारमूला के तहत हो, चाहे सेंट्रली स्पेंसोर्ड स्कीम के तहत हो, बिहार को ज्यादा मिल सका है। टोटल योजनाओं में पिछले साल के अन्दर 212 था, उसको बढ़ाकर 214 किया गया है।

पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ है। और पर-केपिटा सेंट्रल असिस्टेंस अगर देखा जाए तो पिछले साल की योजना

के तहत 37 था अब यह बढ़कर 38 हो गया है। इसी प्रकार अगर पर-केपिटा असिस्टेंस सारे स्टेट्स की ओवर-आल देखी जाए तो 43 आती थी। इस साल 45 गई है। ड्राट रिलीफ लगभग 10 करोड़ अब तक बिहार सरकार को एलोकेट किया गया है। जैसे-जैसे वहां से हमारे पास हिसाब आता चला जाएगा इस बात की हम कोशिश करेंगे कि पैसे की कमी के कारण कोई भी अकाल राहत योजना जो चल रही है वह रुकने न पाए। कुछ सदस्यों ने बताया कि वहां राष्ट्रपति शासन है। मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर केन्द्र से बराबर मंत्री जा रहे हैं और खद प्रधान मंत्री सूबाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही हैं। हमारी कोशिश यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकते हैं वह दें।

कुछ माननीय सदस्यों ने ला एंड आर्डर की स्थिति के बारे में बताया, अत्याचार हो रहे हैं इस बारे में भी सवाल उठाए हैं अगर मैं उन सब की चर्चा करूं तो बहुत-सा समय लग जाएगा। इन सवालों पर काफी चर्चा हो चुकी है कई बार कालिग एटेंशन मोशन के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए से काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं इतना निवेदन कर दूं कि सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ लोगों में जागरूकता आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन होती है वह लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के अन्दर अब चेतना आ गई है। अब निम्न वर्ग के लोग दब नहीं सकेंगे और मैं आशा करता हूं कि उच्च वर्ग के लोग यह समझ लेंगे कि सरकार भी जो निम्न वर्ग और बीकर सेक्शन आफ द सोसाइटी हैं उनकी मदद

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

करने में पीछे नहीं रहेगी। हम आशा करते चल सकते हैं कि इससे बिहार का विकास बहुत तेजी से हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूँ कि सदन इसको पास कर दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Bihar Appropriation (Vote on Account) Bill, 1980.

The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of a part of the financial year 1980-81, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the clause-by-clause consideration.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Sir, I beg to move

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Bihar Appropriation Bill, 1980.

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1979-80, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the clause-by-clause consideration.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

1. THE BUDGET (GUJARAT) 1980-81—GENERAL DISCUSSION.

II. THE GUJARAT APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1980.

III. THE GUJARAT APPROPRIATION BILL, 1980.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Gujarat Budget and the concerned Appropriation Bills.

SHRI S. W. DHABE: (Maharashtra): Sir, how much time has been allotted?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We were to have taken up the Budgets and the Appropriation Bills of five States.

SHRI S. W. DHABE: There is a limit to our working.

SHRI SADASIV BAGAITKAR (Maharashtra): May I suggest that we take up the rest of the States tomorrow. It is very difficult.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): No.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What about the States which have been scheduled for tomorrow?